भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †2892

उत्तर देने की तारीख- 08/08/2024

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान

†2892 डॉ. जयंत कुमार रॉय:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों को ''संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान'' मद के अंतर्गत निधि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार आवंटित निधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए विकास कार्यों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उक्त धनराशि के उपयोग में किसी अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत अनुदान के तहत राज्य सरकारों को उनके प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण का उद्देश्य राज्य को विकास की ऐसी योजनाओं की लागत को पूरा करने में सक्षम बनाना है, जो राज्य द्वारा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की जा सकती हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्र जैसे (i) शिक्षा (ii) स्वास्थ्य (iii) कृषि, बागवानी, पशुपालन (एएच), मत्स्य पालन, डेयरी और प्राथमिक क्षेत्र में अन्य (iv) जनजातीय घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अन्य आय पैदा करने वाली योजनाएं और (v) प्रशासनिक संरचना / संस्थागत ढांचा और अनुसंधान अध्ययन या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाना शामिल है।

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को जारी की गई धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को विभिन्न विकास कार्यों/परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए क्षेत्र-वार स्वीकृत धनराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ): उक्त धनराशि के उपयोग में किसी भी अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) (घ), के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

"संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान" के संबंध में दिनांक 08.08.2024 को डॉ जयंत कुमार रॉय द्वारा उठाये गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †2892 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को जारी की गई धनराशि (लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	2638.65	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	9830.00	7265.30	6740.00
3	असम	2570.000	2300	3294.12
4	बिहार	642.08	1001.01	871.24
5	छत्तीसगढ़	11604.02	13578.43	15676.77
6	गोवा	600.41	667.79	150.00
7	गुजरात	6923.79	7549.12	4584.77
8	हिमाचल प्रदेश	1500.00	1655.00	1696.45
9	झारखंड	12264.19	6677.87	14299.82
10	कर्नाटक	3210.00	4297.57	4070.00
11	केरल	0.00	817.67	1910.44
12	मध्य प्रदेश	5319.10	8438.75	15741.70
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	0.00	1067.36	2456.35
15	मेघालय	1595.25	2904.84	3127.29
16	मिजोरम	2971.54	1654.05	2897.97
17	नागालैंड	3202.39	5863.47	5020.11
18	ओडिशा	11382.05	10150.55	6870.56
19	राजस्थान	10435.21	11002.53	8940.07
20	सिक्किम	2045.00	720.38	1754.38
21	तमिलनाडु	0.00	0.00	650.49
22	तेलंगाना	2050.00	3114.46	5169.00
23	त्रिपुरा	607.53	1294.71	4226.39
24	उत्तर प्रदेश	832.71	1135.85	1353.63
25	उत्तराखंड	100.65	306.02	964.05
26	पश्चिम बंगाल	0.00	4186.50	4744.40
	कुल	**92324.57**	**97649.23**	**117210.00**

अनुलग्नक II

"संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन अनुदान" के संबंध में दिनांक 08.08.2024 को डॉ जयंत कुमार रॉय द्वारा उठाये गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †2892 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को विभिन्न विकास कार्यों/परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए क्षेत्र-वार स्वीकृत धनराशि

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1.	शिक्षा	33459.46	42387.83	58097.16
2.	स्वास्थ्य एवं पोषण	7692.03	11673.78	8652.70
3.	बुनियादी ढांचे का विकास	15097.02	22758.33	22463.36
4.	आजीविका एवं आय सृजन (कृषि एवं पशुपालन)	16624.72	18560.91	3975.16
5.	पेयजल	1551.40	4333.59	4550.30
6.	कौशल विकास	1804.64	10.00	2120.47
7.	खेलकूद और खेल	1931.59	1034.04	833.12
8.	सड़क और संपर्क	10936.64	20740.48	20184.92
9.	अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरण एवं विविध अन्य	13163.97	4715.11	4872.10
कुल		**102261.47**	**126214.07**	**125749.29**

*****